HANS SHODH SUDHA. Vol. 1, Issue 3, (2021), pp. 57-58

राजनीति से नहीं राष्ट्र-नीति से प्रेरित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

डॉ. मनीष

29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश के समक्ष रखा। यह शिक्षा नीति समय की माँग थी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में भाजपा की सरकार ने पूरा किया है। इस शिक्षा नीति में भारत की युवा आबादी को मानव-संसाधन के रूप में परिणत करने के लिए अनेकानेक प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा-दीक्षा प्राप्त कर भारत के युवा देश के विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँ न कि देश और समाज के लिए दायित्व बनकर रह जाएँ। लेकिन यहाँ शिक्षा नीति की खूबी और खामियों पर विचार करना उद्देश्य नहीं है। यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि शिक्षा नीति युवा भारत की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है भी या नहीं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रचना राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने के लिए की गई है या यह केवल राजनीति से प्रेरित है? अगर यह देश, समाज और विशेषतः युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है तो इसके पीछे की राजनीति और राजनीतिक विचारधारा मायने नहीं रखती।

इस शिक्षा नीति को केवल राजनीतिक पक्ष या विपक्ष के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि यह शिक्षा-नीति अपने निर्माण की प्रक्रिया से लेकर क्रियान्वयन तक के प्रत्येक स्तर पर समावेशी प्रकृति की है। इसके द्वारा देश की शिक्षा-प्रणाली को 'समतामूलक और समावेशी' बनाने का प्रयास तो किया ही गया है। साथ ही, इस शिक्षा-नीति के निर्माण के लिए पूर्णतया लोकतांत्रिक एवं समावेशी प्रक्रिया का पालन किया गया है। नीति-निर्माण की प्रचलित परंपरा के तहत, सरकार के उच्चतर स्तर पर नीतियाँ बनाई जाती हैं और फिर जमीनी स्तर पर नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। इस शिक्षा-नीति के निर्माण में नीति-निर्माण की आदर्श प्रक्रिया का पालन किया गया। शिक्षा-नीति के इस अंतिम मसौदे को सामने रखने से पहले समस्त भारत के सभी खास-ओ-आम से सुझाव माँगे गए। भारत के विभिन्न हिस्सों से 2 लाख से अधिक सुझाव आए भी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और शिक्षा से जुड़े जमीनी कार्यकर्ताओं, यहाँ तक कि आम लोगों ने भी अपने-अपने सुझाव दिए। सरकार ने यह दावा किया है कि अंतिम नीति सामने रखने से पहले उन सभी सुझावों पर गंभीरता-पूर्वक विचार भी किया गया। इसका प्रमाण यह है कि अंग्रेजी में जो मसौदा जन-सामान्य के विचार के लिए सामने रखा गया था वह 436 पृष्ठों का था लेकिन शिक्षा-नीति का अंतिम दस्तावेज केवल 66 पृष्ठों का है। दोनों मसौदों की अंतर्वस्तु तथा स्वरूप में भी पर्याप्त अंतर है। इस नीति के निर्माण में एक ओर सरकार का अपनी विचारधारा का आग्रह भी दीखता है जो कि निश्चय ही देशहित में है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी से लेकर विपक्षी दलों के न्यायोचित सुझावों तथा आपत्तियों को भी यथोचित सम्मान दिया गया है। इस नीति के प्रारूप-समिति के अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन जी के अनुसार 'लचीलापन' इस शिक्षा-नीति की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है।

लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का अस्तित्व शाश्वत है और दोनों के कर्तव्य भी पहले से निर्धारित हैं। सत्ता में बैठा राजनीतिक दल नीतियाँ बनाता है। विपक्ष उन नीतियों की कमियों अथवा खामियों को रेखांकित करता है। आवश्यकता पड़ने पर विपक्ष, सरकार के विरोध में संसद से सड़क तक आवाज बुलंद करता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी विचारधारा के अनुरूप नई शिक्षा नीति बनाना चाहती थी और उसे लागू करना चाहती थी। उस जमाने से ही विपक्ष भाजपा की मंशा पर सवाल उठाता रहा है। विपक्ष उसी जमाने से भाजपा के इस प्रयास को 'शिक्षा का भगवाकरण' का नाम देता रहा है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने इन्हीं प्रयासों को 'शिक्षा का भारतीयकरण' कहता रहा है। अटल जी की सरकार गठबंधन की मर्यादाओं से बंधी हुई थी। अटल जी की सरकार काँग्रेस द्वारा 1986 में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति को परिवर्तित करने में सफल नहीं हो सकी। अटल जी के बाद मनमोहन सिंह की अगुआई में काँग्रेस और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार आई। उसने तो नई शिक्षा नीति की आवश्यकता ही नहीं समझी। जबकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में भाजपा की सरकार बनने से बहुत पहले भारत में दो महत्त्वपूर्ण परिघटनाएँ घट चुकी थीं, जिन्हें शिक्षा-नीति के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए था।

1991 में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया था। साथ ही, भारत सहित पूरी दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है। इस सदी की आकांक्षाएँ तो

पूर्ववर्ती सदी से भिन्न हैं ही, वैश्विक परिस्थितियाँ भी बदली हुई हैं। कहा जा रहा है कि यह सदी एशिया और उसमें भी भारत के अभ्युदय की सदी है। इसलिए भारत की शिक्षा-प्रणाली को 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।

आजादी मिलते ही स्वतंत्रता सेनानियों, राजनेताओं और लोक-बुद्धिजीवियों (पब्लिक इंटेलेक्चुअल) का एक बड़ा समूह ऐसा था जो यह मानता था कि भारत को अंग्रेजों के साथ-साथ अंग्रेजी की मानसिक गुलामी से भी मुक्ति मिलनी चाहिए। स्वतंत्र भारत में भी मैकाले की अंग्रेजी-परस्त शिक्षा नीति को ही थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ चलने दिया गया। भारतीय शासन-प्रशासन एवं शिक्षा-प्रणाली में अंग्रेजी के वर्चस्व से कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई यह भी नहीं कह सकता कि एक संप्रभु राष्ट्र में एक विदेशी भाषा हिंदी सहित तमाम भारतीय भाषाओं के सर पर चढ़कर तांडव करे। अपनी संस्कृति से गहराई से जुड़े भारत जैसे देश में विदेशी भाषा के वर्चस्व से केवल भारतीय भाषाओं का ही नुकसान हो रहा हो और भारतीय संस्कृति का बिलकुल नहीं; तो यह समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अंग्रेजी से गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं के साथ-साथ भारत की सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के संरक्षण के लिए कृत-संकल्पित है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आजादी के बाद, मैकाले की अंग्रेजी-परस्त शिक्षा नीति के प्रतिरोध का यह पहला और सशक्त प्रयास है। इस शिक्षा नीति में अंग्रेजी और अंग्रेजियत को ध्वस्त करने की अचूक क्षमता है। सरकार के विरोधियों को भी भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा को इसका श्रेय देना पड़ेगा। हालाँकि, इस शिक्षा-नीति का क्रियान्वयन होना अभी शेष है। लेकिन भविष्य में यदि इस देश में अंग्रेजी का वर्चस्व समाप्त हुआ या कमजोर भी पड़ा तो भाजपा की इस वर्तमान सरकार को अतुलनीय यश और कीर्ति मिलेगी।

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की बुनियाद होती है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके नौनिहालों पर निर्भर करता है। आज का किशोर अथवा युवा ही कल के भारत का भाग्य-विधाता होगा। लेकिन कौन से युवा? निश्चय ही आत्मनिर्भर युवा। वे आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? जाहिर है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करके। शिक्षा के द्वारा ही भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले विकासशील और युवा राष्ट्र की समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या शिक्षा का संबंध केवल आर्थिक उत्पादन से होना चाहिए! क्या शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए कुशल कामगारों को उत्पन्न कर सके? अर्थव्यवस्था और शिक्षा-प्रणाली को एक-दूसरे से निश्चय ही जुड़ा होना चाहिए लेकिन शिक्षा का अनिवार्य संबंध राष्ट्र की अस्मिता से भी होता है। किसी भी राष्ट्र की अस्मिता का सीधा संबंध उस राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति से होता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की शिक्षा-प्रणाली को एक ओर तो अपनी संस्कृति से प्रेरित एवं प्रभावित होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर समाज की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ होना चाहिए।

सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारत वर्तमान में जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में है। इसका मतलब यह है कि भारत की पूरी जनसंख्या में से काम करने में सक्षम (15-64 वर्ष) लोगों की संख्या सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्तमान में भारत दुनिया का सर्वाधिक युवा राष्ट्र है। भारत की आधी से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। उसमें भी 19 वर्ष से कम आयु वाले युवाओं, किशोरों और बालकों की सम्मिलित संख्या लगभग 41 प्रतिशत है। यह शिक्षा नीति इसी वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होनी चाहिए। तब जाकर ही भारत अपने जनांकिकीय लाभांश और विशेषकर सर्वाधिक युवा आबादी की परिघटना का राष्ट्र-हित में अधिकतम लाभ उठा सकता है। यही एकमात्र मार्ग है जिसपर चलकर भारत विश्वगुरु का पद पुनः प्राप्त कर सकता है, और स्वयं को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। एक राष्ट्र के रूप में भारत की आकांक्षाएँ अपनी तरुणाई की आकांक्षाओं से नाभिनालबद्ध हैं। इस शिक्षा नीति के शिल्पकार डॉ. के. कस्तूरीरंगन ने एकाधिक अवसरों पर दोहराया है कि 'नई शिक्षा नीति से देश में शिक्षा की एक नई व्यवस्था जन्म लेगी। इस व्यवस्था से भारतीय मूल्यों और लोकाचार को बनाए रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।''

यह शिक्षा-नीति जहाँ एक ओर विद्यालयी शिक्षा को अधिकतम व्यावहारिक बनाने पर बल देती है, वहीं दूसरी ओर पूरी शिक्षा-व्यवस्था को मौलिक चिंतन के लिए प्रेरित करती है। यह शिक्षा-नीति 'हर हाथ को काम' प्राप्त करने में सक्षम बनाने पर बल देती है। उसके लिए शिक्षा के अंतर्गत कौशल-संवर्धन से लेकर शोध एवं नवोन्मेष तक की विभिन्न संभावनाओं को रेखांकित किया गया है। पारंपरिक शिक्षा-प्रणाली तथा कृषि, उद्योग, उत्पादन एवं व्यापार आदि की दूरी को न्यूनतम करने की कोशिश की गई है। इस शिक्षा-नीति के माध्यम से, समाज एवं संस्कृति से गहराई से जुड़ी भारतीय प्रतिभाएँ, सहजता से वैश्विक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भी महारत हासिल कर सकेंगी। राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 2020 नीतिगत स्तर पर राजनीति का बहुत अधिक अवकाश नहीं देती। नीति के धरातल पर यह एक आदर्श दस्तावेज है जो एक ओर ऐतिहासिक भूलों को सुधारने की दिशा में अग्रसर है, तो वहीं दूसरी ओर 21वीं सदी में विश्व-शक्ति बनने का सपना देख रहे भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने में पूर्णतया समर्थ है। इस नीति के क्रियान्वयन के स्तर पर विपक्षियों को आलोचना का अवसर मिले तो मिले, अभी तो मजबूरी में ही सही, उन्हें भी प्रशंसा ही करनी पड़ रही है।

सहायक प्राध्यापक
हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
संपर्क : mkmanishjnu@gmail.com